

महिला आरक्षण विधयक 2023

प्रलिमि्स के लिये:

संसद और राज्य विधानसभाएँ, दिल्ली को विशेष दर्जा, आरक्षण प्रावधान और सकारात्मक नीतियाँ

मेन्स के लिये:

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों के बीच अंतर्संबंध, अन्य राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के बीच अंतर

<u>स्रोत: इंडयिन एकसप्रेस</u>

चर्चा में क्यों?

हाल ही मे<u>ं <mark>लोकसभा</mark></u> और <u>राज्यसभा</u> दोनों ने **महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक**) अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनयिम पारति कर दिया।

 यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

वधियक की पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- पृष्ठभूमिः
 - ॰ महला आरक्षण वधियक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल से ही की जाती रही है।
 - चूँकि तित्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिये विधियक को मंज़ुरी नहीं मिल सकी।
 - ॰ महलाओं के लिये सीटें आरक्षति करने हेतु किये गए प्रयास:
 - 1996: पहला महिला आरक्षण वधियक संसद में पेश किया गया।
 - 1998 2003: सरकार ने 4 अवसरों पर विधेयक पेश किया लेकिन पारित कराने में असफल रही।
 - 2009: विभिन्न विरोधों के बीच सरकार ने विधियक पेश किया।
 - 2010: केंद्रीय मंत्रमिंडल और राज्यसभा द्वारा पारति ।
 - 2014: विधेयक को लोकसभा में पेश किये जाने की उम्मीद थी।
- आवश्यकताः
 - ॰ लोकसभा में 82 महिला <mark>सांसद (15.2</mark>%) और राज्यसभा में 31 महिलाएँ (13%) हैं।
 - ॰ जबक <mark>पहली लोक</mark>सभा (5%) के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है लेकनि **कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है।**
 - ॰ हाल के सं<mark>युक्त राष्ट्र</mark> महिला आँकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), क्यूबा (53%), निकारागुआ (52%) महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष तीन देश हैं। **महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश (21%) और पाकिस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं।**

वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- नचिले सदन में महिलाओं को आरक्षण:
 - ॰ विधेयक में संविधान में **अनुच्छेद 330A** शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
 - ॰ विधेयक में प्रावधान किया गया के महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन दवारा आवंटित की जा सकती हैं।
 - ॰ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों में, विधैयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षिति करने की मांग की गई है।

राज्य वधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:

- विधेयक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी चाहिये तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तिहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षित होनी चाहिये।
- राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली में महलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):
 - ॰ संवधान का <u>अनुच्छेद 239AA</u> केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दरजा देता है।
 - विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239AA(2)(b) में तद्नुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
 - आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद 334A):
 - ॰ इस विधेयक के लॉगू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा।
 - ॰ आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तिक जारी रहेगा।

सीटों का रोटेशन:

• महिलाओं के लिये आरक्षित **सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा** निर्धारित किया जाएगा।

वधियक के वरिोध में तर्क:

- विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि यह "इस उद्देश्य के लिये परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े
 परापत करने के बाद लागु होगा।" यह चनाव के चकर को निरदिषट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिससा मिलेगा।
- वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिबित होना चाहिये।

नोट: विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानूनों के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिये बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के मामले में, विधेयक में महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों की संसद दवारा समीक्षा किये जाने के लिये 15 वर्ष के सनसेट कुलॉज़ का प्रावधान किया गया है।

कानूनी अंतर्दृष्टि: नारी शक्तविंदन अधनियिम

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/women-reservation-bill2023